

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1338
28.07.2025 को उत्तर के लिए

जंगली जानवरों की मृत्यु की जांच के लिए दिशानिर्देश

1338. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास कर्नाटक के माले महादेश्वरा हिल्स अभयारण्य जैसी जगह पर जंगली जानवरों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में वन्यजीव फॉरेंसिक, विष विज्ञान परीक्षण और क्षेत्र-स्तरीय दस्तावेजीकरण के लिए कोई दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार का समर्पित संरक्षण गलियारों, सामुदायिक सतर्कता तंत्रों और उन्नत प्रतिक्रिया प्रणालियों के माध्यम से कर्नाटक में अंतर-संबद्ध बाघ आवासों को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से बाघों की मृत्यु की समस्या से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशाला से संबंधित निदान और क्षेत्र स्तर के दस्तावेजीकरण के मुद्दों का समाधान किया गया है।
- (ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ग (1) (छ) का यथावत अनुपालन करते हुए, देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों की पहचान की है और उनका इसी अधिनियम की धारा 38फ के अनुसार बाघ संरक्षण करने के लिए "कनेक्टिंग टाइगर पापुलेशन फॉर लॉन्ग-टर्म कन्जर्वेशन" नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। भारत सरकार ने बाघों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु परामर्शिकाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) दिशानिर्देश, 2012 को अधिसूचित किया है। बाघ संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाना, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पारिस्थितिकी विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास, जिसमें संरक्षण गलियारे, सामुदायिक सतर्कता तंत्र और उन्नत प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हैं, के लिए बाघ क्षेत्र वाले राज्यों को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना के घटक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वित्तपोषण सहायता प्रदान की जाती है, जो बाघ रिजर्व के संचालन की स्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार है।
